

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 236/2025

1. पांचूराम उर्फ पांचू उम्र करीबन 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रवण पत्नि हनुमान जी लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. नाबालिग कर्नल पुत्र गणेश सरंक्षक सरपरस्त माता सजना देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. गीता पुत्री मंगला पत्नि सत्यनारायण जी भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
4. गीता पत्नि रामा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
5. गोपाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
6. घमला देवी पुत्री श्रवण पत्नि जयराम पोसवाल जाति गुर्जर निवासी बिंजरवाडा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
7. जोरावर गुर्जर पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
8. दयाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
9. धन्ना पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
10. धर्मीचन्द पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
11. नन्दू गुर्जर पुत्री रामलाल पत्नि कैलाश बागडी जाति गुर्जर निवासी रहलाना तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान ।
12. नन्दा पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
13. बिरमलाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
14. ममता पुत्री मंगला पत्नि रतन भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
15. माया देवी पुत्री श्रवण पत्नि सत्यनारायण लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
16. राजा पत्नि भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
17. रोडी देवी पत्नि श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
18. लाली देवी पत्नि मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
19. विश्राम पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।



नीतू मीणा
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

1. देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
- सत्यनारायण पुत्र भंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
22. सुरजान पुत्री अमरा पत्नि बाबूलाल डोई जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेडीगाटा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
23. सांवरलाल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
24. राजू पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
25. सत्यनारायण पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
26. भूरी देवी पुत्री महावीर पत्नि छितर दरोगा जाति दरोगा निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
27. काना पुत्र किशाना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
28. शिवराज पुत्र किशाना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
29. नन्दू देवी पत्नि छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
30. भूली पत्नि सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
31. रूकमा पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
32. रेखा पुत्री छीतर पत्नि छोदू खटाणा जाति गुर्जर निवासी चान्दणा की ढाणी (सरगांव) तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
33. रामकरण पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
34. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
35. हरि पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
36. कानाराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
37. हीरा देवी पत्नि लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
38. भू-धारी तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 06.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि खातेदारी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील



नीरू मीना
उपस्थित अधिकारी
किशनगढ़

किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 है। यह भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कि चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अनिलेख में इन्द्राज खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है कि उत्तर :- खसरा नम्बर 354 गैंगुंरास्ता, दक्षिण :- खसरा नम्बर 381 (सरकारी भूमि), पूर्व :- खसरा नम्बर 372 (अप्रार्थी संख्या 1 से 23 की भूमि), पश्चिम खसरा नम्बर 368 (अप्रार्थी संख्या 36 व 37) खसरा नम्बर 1023/369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 28 की भूमि) खसरा नम्बर 369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 26) खसरा नम्बर 386, 383 (अप्रार्थी संख्या 29 से 35)। उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है उपरोक्त वर्णितानुसार एकल खातेदारी की आराजीयात है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन सीव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की नीव-सीव उखाड़ने पर आमदा हो जाते हैं एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन प्रार्थी की आराजी की मेड़, सीव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थी की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमदा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान बाबत् प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 36 के निर्देशानुसार किया गया है पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमदा हो जाते हैं। जिससे प्रार्थी की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थी एवं मौके पर बार-बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनों में प्रार्थी की सीव, मेड़ को उखाड़ने पर आमदा हो जाते हैं एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पड़ौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमों कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 12.09.2025 को उत्पन्न हुआ अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर मेड़, सीव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न किया तब प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान से असंतुष्टी जाहीर कि गई हैं। अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से आराजी में नीव, सीव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थी की आराजी में मेड़, सीव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नीव, सीव से सम्बन्धित प्रार्थी की आराजी में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर

नीरभीर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 38, भू-धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 प्रार्थी की आराजी के पड़ोसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं खसरा नम्बर 372 में खातेदार रतनी पत्नि अमरा, व सोनकी पत्नि लक्ष्मण फौत होने से उसके विधिक वारीसान पुर्व से जमाबन्दी में इन्द्राज होने से पक्षकार संयोजित है एवं खसरा नम्बर 369, 1023/369 में खातेदार महावीर के फौत होने से प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 24 से 26 विधिक वारीसान होने से पक्षकार संयोजित है, एवं खसरा नम्बर 1023/369 में कंचन पत्नि किशना के फौत होने से उसके विधिक वारीसान पक्षकार संख्या 24 से 28 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्य है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी कि एकल खातेदारी कि आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2026 तक भी बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 37 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 38 पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा पैरोकार सरकार द्वारा सहमति देने के कारण दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 370 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भूराज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भूराज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर फीस रुपये 2000/- अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ स्थित खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढी की कार्यवाही कर मौका



नीतूमीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि
द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सगस्त पडोसी खातेदारान को सूचना
जारी करने के उपरान्त गौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी की कार्यवाही में
किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुड़वाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि गौके
पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का
कब्जा हो तो गौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही
करने हेतु सूचित करें।



आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में
जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सुनाया
उपस्थित अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

श्री
श्री
श्री

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
मे जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या २३६ / २०१५ जनवान पांचूराठ वनाम कडा

06/5/16

पत्रावली पैस छी वकील गुमी अप्रमिस् अप्रमिस्
सं. ०२, २०, २५, २५, २६, ३०, ३३ के रजि. डाक के तम
शां मि।
ग्रा. पत्र में अप्रमिस्. ०१ से ३७ को तामिल हो
रुकी है, किन्तु वे अनुपस्थित है अतः अप्रमिस्
०१ से ३७ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती
है अप्रमिस् ३८ ने अनापत्ति पत्र लिखी
वकील गुमी की ग्रां पत्र अ-रगत थारा ॥१, १२८
पर अत पर वध की गई
वध पर मनन किम गमा गयी का गयी पत्र
स्वीकार किम जाहा है पत्रावली पैसल शुभाट लेबर
नम्बर मे कागद है

राजस्व विवाद तामील
एवं नम्बरो के अनुसार
वास्तुतः अप्रमिस् प्रपत्रापी
करने जायेले अप्रमिस्
३८ को को अप्रमिस् की
है
स. मरकाट

अखण्ड अधिकारी
किशनगढ़